

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० -75/2022

अनवान : -

1. विनोद कुमार पुत्र जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।

वादी

बनाम

1. जतन सिंह पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
2. प्रमोद कुमार पुत्र जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
3. राजबाला पुत्री जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
4. सरला पुत्री जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
5. कविता पुत्री जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री सुरेन्द्र बैनिवाल वादी  
श्री कपूरचन्द शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 21.6.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 6 एमआरएन के खाता सं० 49/113 के मु०न० 4 के किला न० 16, 25 मु०न० 5 के किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 24, मु०न० 17 के किला न० 1 ता 25, मु०न० 18 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु०न० 19 के किला न० 1 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 20 के किला न० 5/1, 5/2, 5/3, मु०न० 24 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7 मु०न० 25 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 15 मु०न० 26 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की कुल 30.3600 है० में प्रतिवादी सं० 1 जतनसिंह के नाम 487/2024 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं व हिन्दू विधि से शासित हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा गौरीशंकर की खातेदारी हुआ करती थी। गौरीशंकर के बाद प्रतिवादी सं० 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 5 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सम्मन नामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद त्वस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में विनोद कुमार के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी चक 6 एमआरएन प्रदर्श 1 जमाबंदी भूमि एकीकरण 6 एमआरएन प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 6 एमआरएन के खाता सं० 49/113 के मु०न० 4 के किला न० 16, 25 मु०न० 5 के किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 24, मु०न० 17 के किला न० 1 ता 25, मु०न० 18 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु०न० 19 के किला न० 1 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 20 के किला न० 5/1, 5/2, 5/3, मु०न० 24 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7 मु०न० 25 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 15 मु०न० 26 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 6, 7, 8 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की कुल 30.3600है० में प्रतिवादी सं० 1 जतनसिंह के नाम 487/2024 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदियों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी -1 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 6 एमआरएन के खाता सं० 49/113 के मु०न० 4 के किला न० 16, 25 मु०न० 5 के किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 24, मु०न० 17 के किला न० 1 ता 25, मु०न० 18 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु०न० 19 के किला न० 1 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 20 के किला न० 5/1, 5/2, 5/3, मु०न० 24 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7 मु०न० 25 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 15 मु०न० 26 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 6, 7, 8 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की कुल 30.3600है० में प्रतिवादी सं० 1 जतनसिंह के नाम 487/2024 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं० 1 जतनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी विनोद कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 21-6-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 75/2022

अनवान : -

1. विनोद कुमार पुत्र जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।

वादी

बनाम

1. जतन सिंह पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
2. प्रमोद कुमार पुत्र जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
3. राजबाला पुत्री जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
4. सरला पुत्री जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।
5. कविता पुत्री जतनसिंह जाति जाट निवासी महराना त० भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनिवाल व वकील प्रतिवादी श्री कपूरचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 6 एमआरएन के खाता सं० 49/113 के मु०न० 4 के किला न० 16, 25 मु०न० 5 के किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 24, मु०न० 17 के किला न० 1 ता 25, मु०न० 18 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, मु०न० 19 के किला न० 1 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु०न० 20 के किला न० 5/1, 5/2, 5/3, मु०न० 24 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7 मु०न० 25 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 15 मु०न० 26 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 6, 7, 8 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की कुल 30.3600 है० में प्रतिवादी सं० 1 जतनसिंह के नाम 487/2024 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं० 1 जतनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी विनोद कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.6.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से



(शकुंतला चौधरी.)  
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.  
 भादरा (जिला हनुमानगढ़)  
 भादरा जिला हनुमानगढ़